



बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे में जानकारी भाग-7

ऑनलाइन जमाबंदी पंजी देखने की सुविधा

① <https://biharbhumi.bihar.gov.in/> को खोलें तथा “जमाबंदी पंजी देखें” पर क्लिक करें।



② संबंधित जिला, अंचल चुनें तथा “Proceed” पर क्लिक करें। मौजा का नाम चुनें तथा जमाबंदी से संबंधित किसी एक विकल्प (यथा भाग संख्या- पृष्ठ संख्या/ रैयत का नाम/ खाता संख्या/ खेसरा संख्या/ पुरानी जमाबंदी संख्या/ कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या) को चुने तथा उस विकल्प को भर कर “Search” बटन पर क्लिक करें। अथवा उस मौजा की समस्त जमाबंदी देखने के विकल्प को चुन कर “Search” बटन पर क्लिक करें।



③ अब आपको अपने चुने हुये विकल्प के आधार पर जमाबंदी की सूची दिखाई देगी। जिस जमाबंदी को देखना हो, उसके सामने दिये “view” पर क्लिक करें। आपको अपनी जमाबंदी से संबंधित सभी विवरणी दिखाई देगी।

जमाबंदी पंजी के साथ प्रदर्शित अन्य सूचना:

- उक्त जमाबंदी से ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया (2017-18 के पश्चात) से खारिज की गई वाद का विवरण।
- उक्त जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक (Land Mortgage) से सम्बंधित विवरण।
- उक्त जमाबंदी में अंचल स्तर से किए गए बदलाव से संबंधित विवरण
- उक्त जमाबंदी के विरुद्ध विभिन्न राजस्व कोर्ट में दायर मुकदमों का विवरण।

(Land Mortgage तथा राजस्व न्यायालय के वही मामले दिखाई देंगे जिसे ऑनलाइन किया जा चुका है)

जमाबंदी पंजी में प्रदर्शित सूचना में त्रुटि/ ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर क्या करें:

- अगर जमाबंदी पंजी में परदर्शित विवरण में कोई त्रुटि हो/ या रैयत की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे में रैयत परिमार्जन प्लस पोर्टल (<https://parimarjanplus.bihar.gov.in/parimarjannew>) पर आवश्यक दस्तावेज के साथ सुधार/ ऑनलाइन करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।